625

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियॉ, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 10/16

सचिव, ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी, पंचायत समिति, सादुलशहर।

निगरानीकर्ता

बनाम

ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी, पंचायत समिति सादुलशहर जरिये सरपंच ग्रा0पं0 मोरजण्डखारी

गैर निगरानीकर्त्ता

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

निगरानी विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी दिनांक 5–4–08 प्रस्ताव सं0 1

उपस्थित :
1. श्री गुरचरणसिंह अधिवक्ता, निगरानीकर्ता।
2 श्री बलराम स्वामी, अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्ता

आदेश

दिनांक : 30–01–2017

प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसके सुसंगत संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी का सचिव है। राज्य सरकार के निर्देशों की पालना करने के लिए पंचायत राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिबद्व है। निगरानी प्रस्तुत करने के लिए विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा अपने पत्र कमांक 7772 दिनांक 22.3.16 द्वारा अधिकृत किया हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा जो दिनांक 5.4.08 को आवंटन किया गया है, वह राज0 पंचायत राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के विपरीत किया गया है। पंचायत राज नियम 1996 के नियम 142 से 168 की पालना नहीं की गई है।प्रस्ताव सं0 1 दिनांक 5–4–08 व उसके द्वारा जारी पट्टा दिनांक 5–4–08 जोहड़ पायतन की भूमि में होने से खारिज होने योग्य है। लोकायुक्त की जॉच में जिला परिषद की जॉच रिपोर्ट कमांक 2698 दिनांक 12.2.16 द्वारा दिनांक 5–4–08 को जारी जोहड़ के पट्टे नये नक्शे के आधार पर गली में अतिक्रमण बताया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा नक्शा नियमानुसार नहीं बनाया जाना व पट्टा बनाते समय नियमों की पालना नहीं करने के कारण पट्टा अवैध पाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने में किसी भी प्रकार की प्रकिया का पालन नहीं किया गया है। इस प्रकार निवेदन किया गया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत आदेश दिनांक 5–4–08 प्रस्ताव सं0 1 जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जोहड़ पायतन का पट्टा जारी किया है, को निरस्त किया जावे।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

AII/2

निगरानी से संबंधित रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय से तलब किया गया। बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि ग्राम पंचायत द्वारा जो दिनांक 5.4.08 को आवंटन किया गया है, वह राज0 पंचायत राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के विपरीत किया गया है। पंचायत राज नियम 1996 के नियम 142 से 168 की पालना नहीं की गई है। प्रस्ताव सं0 1 दिनांक 5–4–08 व उसके द्वारा जारी पट्टा दिनांक 5–4–08 जोहड़ पायतन की भूमि में होने से खारिज होने योग्य है। लोकायुक्त की जॉच में जिला परिषद की जॉच रिपोर्ट कमांक 2698 दिनांक 12.2.16 द्वारा दिनांक 5–4–08 को जारी जोहड़ के पट्टे नये नक्शे के आधार पर गली में अतिक्रमण बताया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा नक्शा नियमानुसार नहीं बनाया जाना व पट्टा बनाते समय नियमों की पालना नहीं करने के कारण पट्टा अवैध पाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने में किसी भी प्रकार की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इस प्रकार निवेदन किया गया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत आदेश दिनांक 5–4–08 प्रस्ताव सं0 1 जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जोहड़ पायतन का पट्टा जारी किया है, को निरस्त किया जावे।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने लिखित बहस में कथन किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा अपनी ही भूमि के विरूद्व निगरानी पेश किया जाना नियमविरूद्व है। सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आबादी भूमि को सुरक्षित किया जाता है, जो पंचायत के अधिकार में है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 में पंचायतों को आदेश दिये थे कि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु जरूरत की भूमि के पट्टे जारी किये जावे। सरकार के आदेश से ही पट्टे जारी हुए है। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज अधिनियम के नियमों के अनुसार ही आवंटन किया गया है। एक दिन में आवंटन नहीं हुआ है। पट्टे पर विकास अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर हैं। गॉव में पुरानी आबादी में जब गॉव आबाद हुआ, तब से गॉव के लोगों की जरूरत के लिए जोहड़ बनाया हुआ है, जो आज तक वहीं पर है। जोहड़ को पक्का बनाने हेतु पट्टा जारी किया गया है। राज्य सरकार द्वारा राशि आवंटन करने पर जोहड़ पक्का बनाया गया है। लच्छीराम का पुरानी आबादी में भूखण्ड खसरा नं0 33 है। यह आबादी खसरा में दर्ज नहीं है। खसरा नं0 33 के दक्षिण में जोहडत्र की जगह का पट्टा 33/2 के नाम से बना लिया , यह भी रेकार्ड में नहीं है। रेकार्ड लच्छीराम व महेन्द्र द्वारा पेश किया गया है, जो मूल नहीं है। आबादी नक्शा में कॉट छॉट है। नक्शा में खसरा नं0 33 ही दर्ज है, उसमें पास जोहड़ की जगह में 33/2 हाथ से बनाया दिख रहा है। मौके पर लच्छीराम 182 फुट पर काबिज है। लच्छीराम द्वारा भूखण्ड सं0 33/2 व 33/3 दान में देना बताया गया है और उसमें जोहड़ बना है यह गलत है,दान पत्र दे दिया जब जोहड पक्का बनाते समय राशि स्वीकृति के समय दान पत्र के साथ पंचायत समिति द्वारा पट्टा मांगा गया तो पेश नहीं किया गया। पंचायत समिति द्वारा प्रस्ताव 7(II) साधारण सभा में निर्णय दिनांक 07.02.2008 में आदेश दिया गया कि प्लॉट संख्या 33/2, 33/3 निरस्त किये जावे। उसके बाद पंचायत द्वारा जोहड के नाम से पट्टा जारी किया गया। सार्वजनिक जोहड राज्य सरकार की योजना में

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

AH 3

पक्का बना है और गांव का पानी इसी में आता है। सार्वजनिक जोहड पंचायत की सम्पत्ति है। खसरा नम्बर 33 व इसके साथ की जगह के अलावा जोहड के पास की गली पर लच्छीराम द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है, का विवाद न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादुलशहर के न्यायालय में चल रहा है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

निगरानीकर्त्ता द्वारा निगरानी के माध्यम से आदेश दिनांक 05.04.2008 प्रस्ताव संख्या 01 ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी, जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जोहड पायतन का गलत रूप से आवंटन किया गया है, को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा है।

निगरानीकृत प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 5–4–08 के द्वारा दोनों प्लाटों की जगह व डिग्गी की जगह को जोहड में शामिल में कर जोहड के नाम से पट्टा जारी करने का प्रस्ताव पारित कर, सर्वसम्मति से अनुमोदन करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्ताव में प्लॉट नम्बर का अंकन नही है जगह खाली छोड़ी हुई है। इसी प्रकार सामान्य बैठक की दिनांक अंकित नही है, जगह खाली छोड़ी गई है।

निगरानीकर्त्ता सचिव,ग्राम पंचायत मोरण्डखारी द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति, सादुलशहर के आदेश दिनांक 7772/22.03.2016 की पालना में निगरानी दायर की गई हैं, इसलिए अप्रार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नही है कि निगरानीकर्त्ता को निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है।

निगरानीकर्त्ता के अधिवक्ता ने राजस्थान पंचायतराज नियम 162 की ओर न्यायालय का ध्यान आकृषित कर निवेदन किया कि पंचायत द्वारा राजकीय संस्थाओं को आबादी भूमि का आवंटन 500 गज तक क्षेत्रफल बिना किसी कीमत वसूल किये आवंटन किया जा सकता है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा इससे कहीं अधिक की भूमि का निगरानीकृत पट्टा जारी किया गया है इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा राज0 पंचायत राज अधिनियम की पालना का उल्लघंन करते हुए निगरानीकृत पट्टा जारी किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

निगरानीकृत पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.04.2008 को निःशुल्क जोहड पायतन के नाम से 200 गुणा 170 (165) कुल क्षेत्रफल 13500 वर्गफुट का जारी किया गया है, जिससे नियम 162 का उल्लघंन होना पाया जाता है।

राजस्थान पंचायतराज नियम 162 : राजकीय संस्थाओं को आबादी भूमि का आवंटन :–

1. पंचायत द्वारा शाला भवन, औषधालय, आंगनबाडी केन्द्र हेतु आबादी क्षेत्र में 500 वर्गगज तक क्षेत्रफल बिना किसी कीमत वसूल किये हुए आवंटन किया जा सकेगा, परन्तु उसकी पुष्टि सम्बन्धित जिला परिषद से करवानी होगी।
2. अन्य कोई भी निःशुल्क आवंटन या रियायती दर पर आवंटन केवल राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से किया जा सकेगा।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने लिखित बहस में उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर की जांच रिपोर्ट का हवाला देकर तर्क दिया है कि खसरा नं.

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

A11
4

33 व इसकी साथ की जगह के अलावा जोहड के पास की गली पर लच्छीराम द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, उपखण्ड अधिकारी ने बाद जांच पाया है कि लच्छीराम पुत्र बस्तीराम को अतिक्रमी माना जाना उचित नही है।

ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतराज नियम 162 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई हैं। नियम 162(1) के अन्तर्गत 500 वर्गगज क्षेत्रफल तक की भूमि सरकारी संस्थाओं को अलॉट करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। नियम 162(2) के अन्तर्गत अन्य कोई भी निःशुल्क आवंटन या रियायती दर पर आवंटन केवल राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से किया जा सकेगा। निगरानीकृत पट्टा जोहड पायतन के पक्ष में 500 वर्गगज से अधिक के क्षेत्रफल का निःशुल्क जारी किया गया है। मेरे विनम्र मत में, हस्तगत प्रकरण में निगरानीकृत भूखण्ड का आवंटन 500 वर्गगज के क्षेत्रफल से अधिक का है इसलिए हस्तगत प्रकरण ग्राम पंचायत को रिमाण्ड किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

फलस्वरूप, निगरानीकर्त्ता की निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा निगरानीकृत पट्टा दिनांक 05.04.2008 निरस्त किया जाता है। प्रकरण ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि राजस्थान पंचायतराज अधिनियम 1994 के नियम 1996 के नियम 162 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर, पुनः नये सिरे से आदेश पारित करें। आदेश की प्रति मय रिकॉर्ड ग्राम पंचायत को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 30.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/1/17

(करतारसिंह पूनियॉ)
अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

Scanned by CamScanner